


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोव जिला - सीकर

नरेश कुमार वर्मा बनाम तहसीलदार धोद
 किस्म मुकदमा 136 एल पु.नं. 397 वर्ष 2025

| दिनांक | आज्ञा - पत्र |
|----------|--|
| 19/09/25 | <p>प्रार्थी नरेश कुमार वर्मा पुत्र नागरमल वर्मा जाति बलाई निवासी ग्राम पेवा तहसील धोद जिला सीकर द्वारा प्रस्तुत आवेदन बाबत राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नाम को दुरुस्त करने के अनुसार वाके ग्राम पेवा पटवार हल्का पेवा तहसील धोद जिला सीकर के खाता सं. (नया) 350 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी की माता के नाम की प्रविष्टि सुखदेई पत्नी नागरमल दर्ज है, जो कि अशुद्ध है तथा ग्राम पेवा पटवार हल्का पेवा तहसील धोद जिला सीकर के खाता सं. (नया) 282 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी की माता के नाम की प्रविष्टि सुखीदेवी पत्नी नागरमल दर्ज है, जो कि अशुद्ध है। जबकि प्रार्थी की माता के नाम की सही प्रविष्टि सुखदेवी पत्नी नागर है। प्रार्थी की माता के नाम से बने दस्तावेजात की प्रतियों में प्रार्थी की माता के नाम की प्रविष्टि सुखदेवी पत्नी नागर अंकित है, जो कि सही है। अतः उक्त वर्णित वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी की माता के नाम की प्रविष्टि सुखदेई पत्नी नागरमल/सुखीदेवी पत्नी नागरमल के स्थान पर सुखदेवी पत्नी नागर दुरुस्त किया जावें।</p> <p>प्रकरण में प्रार्थी के अनुतोष के संबंध में तहसीलदार, धोद के पत्रांक: भू.अ./2025/1322 दिनांक 11.07.2025 के द्वारा दुरुस्ती संबंधी रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात प्राप्त हुई। उक्त रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात आदि का अवलोकन किया। उक्त रिपोर्ट गुताधिक प्रार्थी के अनुतोष के अनुसार सही है। प्रार्थना-पत्र अ.धा. 136 एल आर एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर किया जावें।</p> <p>अतः प्रार्थी का आवेदन तहसीलदार, धोद की उक्त रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम पेवा पटवार हल्का पेवा तहसील धोद जिला सीकर के खाता सं. (नया) 350 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी की माता के नाम की प्रविष्टि सुखदेई पत्नी नागरमल के स्थान पर सुखदेवी पत्नी नागर दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा ग्राम पेवा पटवार हल्का पेवा तहसील धोद जिला सीकर के खाता सं. (नया) 282 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी की माता के नाम की प्रविष्टि सुखीदेवी पत्नी नागरमल के स्थान पर सुखदेवी पत्नी नागर दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। पूर्व की प्रविष्टि से किसी तरह की सरकारी, गैर सरकारी बकाया एवं उत्तरदायित्व हो तो उसके निर्वहन एवं अदायगी के लिए संबंधित खातेदार/प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। तहसीलदार, धोद के पत्रांक: भू.अ./2025/1322 दिनांक 11.07.2025 के द्वारा प्राप्त दुरुस्ती संबंधी रिपोर्ट आदेश का अभिन्न अंग रहेगी। पालनार्थ तहसीलदार, धोद को लिखा जावें।</p> <p>आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हों।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी धोद जिला सीकर </p> |

